

राजस्थान-सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, कोटा

E mail - me.kota@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- खअ/कोटा/अवैध खनन/2024/261

दिनांक:- 12.11.2024

-: नीलामी विज्ञप्ति :-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग के दौरान निम्न जब्तशुदा खनिज बजरी की नीलामी हेतु सीलबन्द लिफाफे में निविदाएं दिनांक 12.12.2024 को प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यालय खनि अभियन्ता, खनिज भवन, प्लॉट नम्बर 3, टैगोर नगर, रावतभाटा रोड, कोटा के कमरा नम्बर 112 में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त सीलबन्द निविदाएं कमेटी द्वारा दिनांक 13.12.2024 को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खनि अभियन्ता कोटा कक्ष संख्या 114 में खोली जायेगी। नीलामी में भाग लेना हेतु निविदा फार्म कार्यालय से राशि ₹0 100 जमा करा प्राप्त कर नियत तिथि को बयाना राशि जरिए डीडी/बैंकर्स चैक सहित निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं।

क्र.सं.	स्थान का विवरण (जहाँ जब्तशुदा काली बजरी पड़ी है)	जब्तशुदा काली बजरी की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बयाना/अमानत राशि (₹0 में)	न्यूनतम निविदा राशि (₹0 में)
1.	ग्राम खेड़ीयामान तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी	80 टन	4000	40000
2.	ग्राम खेड़ीयादुर्जन तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी	300 टन	15000	150000
3.	ग्राम झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी	300 टन	15000	150000
4.	ग्राम खातोली, तहसील पीपल्दा जिला कोटा	30 टन	1500	15000
5.	खसरा संख्या 1408/516 खातोली से सवाईमाधोपुर रोड ग्राम लाखनी जिला कोटा	30 टन	1500	15000
6.	खसरा संख्या 539/271 खातोली से सवाईमाधोपुर रोड ग्राम लाखनी जिला कोटा	100 टन	5000	50000
7.	खसरा संख्या 1436/1383 खातोली से सवाईमाधोपुर रोड ग्राम खातोली जिला कोटा	60 टन	3000	30000
8.	खसरा संख्या 259 खातोली से सवाईमाधोपुर रोड ग्राम रामखेड़ा जिला कोटा	40 टन	2000	20000
9.	खसरा संख्या 1405/515 ग्राम खातोली जिला कोटा	35 टन	1750	17500
10.	खसरा संख्या 01 ग्राम खातोली जिला कोटा	150 टन	7500	75000
11.	खसरा संख्या 527 ग्राम खातोली जिला कोटा	100 टन	5000	50000
12.	खसरा संख्या 525 ग्राम खातोली जिला कोटा	100 टन	5000	50000
13.	खसरा संख्या 03 ग्राम खातोली जिला कोटा	100 टन	5000	50000
14.	खसरा संख्या 1342/57 खातोली से सवाईमाधोपुर रोड ग्राम खातोली जिला कोटा	80 टन	4000	40000
15.	खातोली इटावा रोड आवासीय कॉलोनी ग्राम खातोली, इटावा जिला कोटा	870 टन	43500	435000

क्र.सं.	स्थान का विवरण (जहाँ जब्तशुदा बनास बजरी पड़ी है)	जब्तशुदा बनास बजरी की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बयाना/अमानत राशि (₹0 में)	न्यूनतम निविदा राशि (₹0 में)
1	केशोपुरा तसहील पिपल्दा जिला कोटा	2016 टन	181440	1814400

नोट:- खनिज बजरी नीलामी की शर्तें खनि अभियन्ता, कोटा एवं वेबसाइट mines.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती हैं।

10/11/24
12/11/24
(आर0एन0 मंगल)
खनि अभियन्ता, कोटा

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्तें निम्नानुसार रहेंगी:-

1. निविदा सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से पुलिस थाना/क्षेत्र/स्थल का नाम जहाँ बजरी पड़ी है, लिखा होना चाहिए। सभी निविदाएं कार्यालय खनि अभियन्ता, कोटा के कमरा नम्बर 112 पर रखें टेन्डर बॉक्स में दिनांक 12.12.2024 को प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ निविदा विज्ञप्ति में वर्णितानुसार बयाना/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बेकर्स चैक जो संबंधित खनि अभियन्ता कोटा के नाम हो, निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई निविदादाता अलग-अलग थाना परिसर/चौकी/स्थल की बजरी के लिये निविदा प्रस्तुत करता है, तो बयाना/अमानत राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बेकर्स चैक अलग-अलग ही संलग्न करने होंगे। निविदा राशि 10 रु0 प्रति टन के गुणक में ही मान्य होगी।
3. निविदा पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या निविदादाता फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
4. जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित थाना/चौकी/क्षेत्र/स्थल पर की जा सकती है।
5. जब्तशुदा बजरी संबंधित थाना/चौकी/क्षेत्र/स्थल में जैसी भी, जितनी भी, जहाँ भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपुर्द की जावेगी।
6. प्राप्त निविदाएं कमेटी द्वारा दिनांक 13.12.2024 को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खनि अभियन्ता, कोटा के कक्ष संख्या 114 में खोली जाकर उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। आदेश प्राप्ति के तीन कार्यदिवस में सम्पूर्ण निविदा राशि ऑनलाईन विभागीय मद में जमा करायेगें। राशि जमा होने की तिथि से 5 दिवस सहित अधिकतम 6 दिवस में समस्त बजरी उठानी होगी, अन्यथा जमा बयाना/अमानत राशि जब्त करते हुए बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जावेगी।
7. निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक के उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, मजदूरी व परिवहन इत्यादि अन्य खर्च) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय निविदादाता का ही होगा।
8. निविदादाता को पहचान पत्र/फोटो आई. डी. इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा, एवं मुख्तयारनामा यदि जारी किया गया हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशकों की सूची इत्यादि की प्रति साथ में लानी होगी।
9. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
10. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उर्ज/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे एवं किसी भी न्यायिक वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र कोटा होगा।
11. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरान्त कार्यालय खनि अभियन्ता, कोटा द्वारा वाहन के वजन क्षमतानुसार खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी खनिज बजरी से भरा वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
12. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
13. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जावेगा। स्टॉक के बलेन्स की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबंधित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) को वाट्सएप पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
14. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना, वाहनों की फोटो एवं कम्प्युटरकृत/अधिकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची खनि अभियन्ता कोटा को वाटसेप पर भेजने के पश्चात ही वाहनों का रवाना किया जा सकेगा।

15. नीलामी की गई बजरी का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगी स्थान पर परिवहन करेगा।
16. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक की फोटो, वाहनों की तौल पर्चियां एवं भरे हुये वाहनों के फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।
17. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः निलामी कर सकेगा और इस संबंध में सफल निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
18. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों के अनुमत नहीं होगा।
19. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मैन्युअल रक्नना जारी किया जावेगा।
20. खनिज के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जावेगी।
21. शेष सभी शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार रहेगी।

(आर0एन0 मंगल)

खनि अभियन्ता, कोटा

दिनांक:- 12.11.2024

क्रमांक:- खअ/कोटा/अवैध खनन/2024/262-272

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, कोटा।
2. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक शहर/ग्रामीण।
3. श्रीमान् निदेशक महोदय, निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
4. नोडल अधिकारी डी.एम.जी.ओ.एम.एस. निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक (खान), कोटा-जोन, कोटा।
6. श्रीमान् अधीक्षण खनि अभियन्ता, कोटा-वृत्त, कोटा।
7. श्रीमान् अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता), कोटा-वृत्त, कोटा।
8. संबन्धित थाना अधिकारी।
9. सहायक लेखाधिकारी कार्यालय हाजा।
10. तकनीकी स्टाफ कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

खनि अभियन्ता, कोटा